न्यायालय,

विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण,

बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद,

R.J.S.(D.J. Cadre)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 150/2026

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 351/2025 पुलिस थाना गढ़ी)

दशरथ पिता कालु नाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी बोरी, पुलिस थाना रंठाजना, जिला प्रतापगढ (राज.) - प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य - अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

प्रतिनिधित्व –

1. श्री फुरकान अहमद चिश्ती, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।
2. श्री योगेश सोमपुरा, विशिष्ठ लोक अभियोजक।

आदेश

दिनांक 17 मार्च, 2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.11.2025 को सूचक तेजसिंह सान्दु, पु.नि., पुलिस गढ़ी ने पर्चा कायमी इस आशय का मुर्तिब किया कि दिनांक 12.11.2025 को समय 02.55 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मन तेजसिंह सान्दु थानाधिकारी मय जाप्ता मोतीसिह सउनि, वासुदेव कानि न. 903, मदनसिंह कानि न. 918 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक मनिष कानि न. 814 मय अनुसंधान बॉक्स के तथा डीएसटी बांसवाडा श्री विवेकभानसिंह सउनि, जिगनेश जोशी 543, जगपालसिह कानि न 18 व विजय कानि न 531 को तलब कर वास्ते अवैध गतिविधियों की रोकथाम व गुण्डा बदमाशानो की चैकिंग हैतु थाना सर्कल में जाने रवाना हो कस्बा गढी की गश्त करते हुए बोरी तरफ जा रहे थे कि बोरी गांव से पहले तालाब के पास पहुंचे कि बोरी गांव की तरफ से एक

मोटरसाईकिल चालक पुलिस जीप को देखकर अपनी मोटरसाईकिल को वापस मुडाकर भागने लगा जिस पर शंका होने से कि उक्त व्यक्ति के पास अवैध हथियार हो सकता है इस आशंका पर मोटरसाईकिल के आगे पुलिस जीप आडी करके रोका व उक्त मोटरसाईकिल हिरो कम्पनी की सुपर स्पलेण्डर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 35 एसएफ 8235 बरंग ग्रे व ब्लैक है। उक्त मोटरसाईकिल चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल, उम्र 37 साल, निवासी साकरिया पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ का होना बताया। उक्त व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है इसकी तलाशी लिया जाना आवश्यक है। आसपास स्वतंत्र गवाह तलाश किये जाने है रोड पर आवाजाही है जिस पर आने जाने वाले राहगीरों को रुकवाया जाकर राहगीरों को गवाह बनने हेतु मन एसएचओ ने निवेदन किया लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्यवाही में नहीं पडना चाहता है इसलिए कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। जिस पर हमरा जाप्ते में से मोतीसिंह सउनि व वासुदेव कानि न 903 को मौतबिर मामूर किया गया और मन एसएचओ ने गवाहान की तलाशी व गवाहान को मन एसएचओ ने तलाशी दी तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। मन एसएचओ ने मोटरसाईकिल चालक रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल जाति नाई उम्र 37 साल निवासी साकरिया पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ़ के शरीर की तलाशी रुबरु जाप्ता व डीएसटी टीम के समक्ष श्री मोतीसिंह सउनि से लिवाई गई तो रमेशचन्द्र के कमीज की उपर की जेब में 20 नोट पांच सौ रुपये के व 01 नोट सौ रुपये का मिला इस प्रकार कुल 10100 रुपये मिले व एक पॉकेटनुमा डायरी मिली जिसमें रमेशचन्द्र का पेन कार्ड, लाईसेन्स व एक फोटो तथा मोटरसाईकिल की आरसी नम्बर आरजे 35 एसएफ 8235 मिली। रमेशचन्द्र के पहनीहुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लेने पर एक गुलाबी रंग की प्लास्टिक की थैली मिली जिसको खोलकर देखा तो अन्दर एक सफेद रंग की एक थैली थी जिसमें काला भुरा लसलस्सा पदार्थ भरा हुआ था जिसको मोतीसिह सउनि ने खोला व हमाराही जाप्ता मोतीसिंह सउनि, श्री विवेकमानसिंह सउनि, मनीष कानि ने सुंघकर अफीम होना बताया तथा मन एसएचओ ने भी सुंघा - तो पूर्व अनुभव के आधार पर अफीम होना पाया। रमेशचन्द्र ने भी उक्त पदार्थ को अफीम होना स्वीकार किया। रमेशचन्द्र से उक्त अफीम कहा से लाये हो पूछा तो बताया कि उक्त अफीम दशरथ सैन पिता कालु जाति नाई गांव बोरी थाना रठांजना जिला प्रतापगढ़ से लाया हूं। रमेशचन्द्र के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब की तलाशी तो एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मिला जिसके पासवर्ड लगाकर रमेशचन्द्र ने खोला और मोबाईल के आईएमईआई नम्बर देखे तो 861909073513012 और 861909073513004 व मोबाईल नम्बर 7297044144 रमेशचन्द्र ने होना बताया।

रमेशचन्द्र प्रतापगढ जिले का रहने वाला है तथा बोरी थाना गढी की ओर से आने का कारण पूछा तो बताया कि मैं हितेश पाटीदार निवासी बोरी को अफीम देकर आ रहा हूं। तथा अपने पास मिले नकद रकम 10100 रुपये हितेश पाटीदार को अफीम बेचकर प्राप्त करना बताया। मौके पर इलेक्टॉनिक कांटे से अवैध अफीम का तोल किया तो वजन 94 ग्राम प्लास्टिक की सफेद रंग की थैली सहित हुआ। चूंकि अफीम गिली अवस्था में है इसलिए इसे मौके पर बारदाना से निकालकर तौला जाने की स्थिति में नहीं है। रमेशचन्द्र से उक्त अफीम को अपने कब्जे में रख परिवहन करने के अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो रमेशचन्द्र ने नही होना बताया। इस प्रकार रमेशचन्द्र द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के अवैध अफीम का परिवहन करना धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने से अवैध अफीम से भरी हुई सफेद रंग की थैली को बन्द कर पुनः उसी गुलाबी रंग की प्लास्टिक थैली में रखकर उसे एक कपडे की थैली में रख सिलचिट बन्द कर मार्क ए दिया गया। उक्त जप्तशुदा आर्टिकल मार्क ए में से रासायनिक परीक्षण हेतु मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में से नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल पृथक से निकाले जायेंगे। रमेशचन्द्र के कब्जे से मिले 10100 रुपये, एक पॉकेटनुमा डायरी जिसमें रमेशचन्द्र का पेन कार्ड ईसेन्स, एक फोटो तथा मोटरसाईकिल की आरसी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क बी दिया जाकर सिल्ड मोहर किया गया। रमेशचन्द्र के मोबाईल को अनुसंधान में सुविधा अनुसार होने से खुला रखा जाकर चिटचस्पा किया गया। अवैध अफीम का परिवहन करने में प्रयुक्त रमेशचन्द्र के कब्जेशुदा मोटरसाईकिल हिरो कम्पनी की सुपर स्पलेण्डर मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 35 एसएफ 8235 बरंग ग्रे को बतौर वजह सबुत जब्त किया गया। जप्ती की कार्यवाही में प्रयुक्त की गयी थाने की सील की फर्द नमुना सील मुर्तिब की गयी। मोटरसाईकिल चालक रमेशचन्द्र का उक्त कृत्य धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय एवं अजामनतीय अपराध होने से रमेशचन्द्र को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देकर गिरफतारी के कारणो से अवगत कराते हुवे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना हाजा की ब्रास सील काम में ली गई, जो सरकारी सम्पति होने से नष्ट नहीं की गई। पर्चा कायमी अपराध मौके पर मुर्तिब किया गया। थाने पर पहुंच कायमी प्रकरण किया जावेगा..........इत्यादि। उक्त पर्चा कायमी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 351/2025 अपराध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया।

3. उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे मामले में झूंठा अंर्तविलित किया गया है। अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 09.03.2026 से

न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है, उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। सहअभियुक्त रमेशचंद्र को इस न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब परिवार से है, परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है अभिरक्षा में उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । प्रार्थी/अभियुक्त निकट जिले का रहने वाला हैं और उसके भागने का अन्देशा नहीं हैं। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. तर्कों पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। अब तक के अनुसंधान से प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर अफीम को बेचने के दुष्प्रेरण का धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पाया जाना बताया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण संख्या 189/2017 थाना कोतवाली प्रतापगढ में अपराध धारा 42 राजस्थान कारागृह संशोधित अधिनियम में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षाधीन है। सह अभियुक्त रमेशचन्द्र की जमानत हो चुकी है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त दशरथ पुत्र कालु नाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी बोरी, पुलिस थाना रठांजना, जिला प्रतापगढ़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त नियत सुनवाई दिनांकों पर नियमित उपस्थिति बाबत् विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000 रुपये का मुचलका और 25-25 हजार रुपये की दो स्थावर सम्पत्ति धारक जमानतें पेश कर अनुप्रमाणित करवा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। जमानत मुचलके पर नियमानुसार संबंधित का रंगीन फोटो चस्पा किया जावे।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय In Re Policy Strategy For Grant of Bail, (2023) 0 Supreme (SC) 155 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्तगण को

उपलब्ध करवाने हेतु अधीक्षक, जिला कारागृह, बांसवाड़ा को जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(राम सुरेश प्रसाद)

8. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)